–::आदेश::–

भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/ 98/2019/एफ0सी0/2212 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.8874 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–रगडगांव, पट्टी–सकलाना, तहसील–धनोल्टी की 19.775 है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या–111/र0का0 (सं0नि0)–20, दिनांक धनोल्टी , जून 05, 2020 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
रगड़गांव	सकलाना	05	171म0	3.064 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			289	4.944 है0	–तथैव–
			722	1.093 है0	–तथैव–
			731	2.698 है0	–तथैव–
			743	0.246 है0	–तथैव–
			753	0.285 है0	–तथैव–
			783	0.196 है0	–तथैव–
			785	0.752 है0	–तथैव–
			793	0.256 है0	–तथैव–
			846	1.484 है0	–तथैव–
			875	1.153 है0	–तथैव–
			883	2.136 है0	–तथैव–
			884	0.236 है0	–तथैव–
			903	0.226 है0	–तथैव–
			904	0.254 है0	–तथैव–
			927	0.752 है0	–तथैव–
			योग	19.775 है0	वृक्षारोपण हेतु

क्रमशः–2

प्रस्तावित रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882 / XVIII(II) / 11–18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365 / XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173 / XVIII(II) / 2012–18(120) / 2010राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम–रगडगांव, पट्टी–सकलाना के खाता संख्या–05 के खसरा नम्बर–171म0 रक्वा 3.064 है0, 289 रक्वा 4.994 है0, 722 रक्वा 1.093 है0, 731 रक्वा 2.698 है0, 743 रक्वा 0.246 है0, 753 रक्वा 0.285 है0, 783 रक्वा 0.196 है0, 785 रक्वा 0.752 है0, 793 रक्वा 0.256 है0, 846 रक्वा 1.484 है0, 875 रक्वा 1.153 है0, 883 रक्वा 2.136 है0, 884 रक्वा 0.236 है0, 903 रक्वा 0.226 है0, 904 रक्वा 0.254 है0 एवं 927 रक्वा 0.752 है0 कुल रक्बा 19. 775 है0 (उन्नीस दशमलव सात सात पांच है0) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

12/20 ... 2019-20 ... XI ... मिसल ... ACC II ... 5 ... 3021 ... 7/10/2020

(मंगेश घिल्डियाल)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–552 / XI– (2020–21)दिनांक,नई टिहरी,जुलाई,10 ,2020.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग।
6– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0–2 नई टिहरी।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

NON.Z.A खतौनी नकल ग्राम रगड़गांव पट्टी सकलाना
तहसील - धनोल्टी जिला - टि० ग०

खतौनी खाता संख्या	भूमिधर का नाम	भौमिक अधिकार का वर्ग	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7 — 8
05	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9(3) ड.	हाल बन्दोबस्त से पूर्व	01	1.504		आदेश- मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० 552/XI-(2020-21) दिनांक नई टिहरी जुलाई, 10, 2020 के अनुसार- शासनादेश सं० मा० 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी धनोल्टी द्वारा प्रस्तावित ग्राम रगड़गांव के खाता सं० 5 (ज० वि० 20) के खसरा सं० 171म/3.064, 289/4.944, 722/1.093, 731/2.698, 743/0.246, 753/0.285, 783/0.196, 785/0.752, 793/0.256, 846/1.484, 875/1.153, 883/2.136, 884/0.236, 903/0.226, 904/0.254, 927/0.752 कुल रकबा 19.775 (उन्नीस दशमलव सात सात पाँच हे०) श्रेणी-9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि को उल्लिखित शासनादेश के आलोक में वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने का आदेश है।
			21	1.254		
			22	0.074		
			23	0.025		
			XXX	XXX		
			171	5.048		
			XXX	XXX		
			289	4.944		
			XXX	XXX		
			722	1.093		
			XXX	XXX		
			731	2.698		
			733	0.135		
			743	0.246		
			747	0.098		
			753	0.285		
			780	0.080		
			783	0.196		
			785	0.752		
			793	0.256		
			805	0.145		
			835	0.010		
			840	0.008		
			846	1.484		
			856	0.055		
			866	0.016		
			875	1.153		
			883	2.136		
			884	0.236		
			886	0.023		
			903	0.226		
			904	0.254		
			XXX	XXX		
			927	0.752		
			XXX	XXX		
			950	0.379		
			957	0.230		
—	—	योग	106	88.500	—	—

22-8-2020
राजस्व उपनिरीक्षक
पटियाणगांव
तहसील-धनोल्टी (टि०ग०)